<u>भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / बलपूर्वक आचरण</u>
<u>के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया</u>

क. परिभाषाएं:

क.1 "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है, चयन प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए कोई भी बहुमूल्य वस्तु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भेंट देना, प्राप्त करना या मांगना।

"भ्रष्ट आचरण" में गलतबयानी से हुई चूक भी शामिल है जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके।

क.2 "धोखाधड़ी आचरण" का अर्थ संविदा / आर्डर की चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने या उसके निष्पादन के दौरान किसी एजेंसी द्वारा या उसकी मिलीभगत से या उसके एजेंट द्वारा गलत प्रस्तुति / झूठे दस्तावेजों और/या गलत सूचना देकर या तथ्यों को छिपाकर या धोखा देकर कोई कार्य या चूक करना शामिल है।

क.3 "बोलीदाताओं के बीच कपटपूर्ण आचरण (बोली लगाने से पहले या बाद में)" का अर्थ है कोई योजना या व्यवस्था जिसे कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर बोली मूल्य स्थापित करने के लिए बनाया गया हो तथा नियोक्ता को मुक्त और खुली प्रतियोगिता के लाभ से वंचित करना है।

क.4 "बलपूर्वक आचरण" का अर्थ किसी एजेंसी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने, जांच या खरीद प्रक्रिया की लेखा-परीक्षा में बाधा पहुंचाने के लिए किसी एजेंसी या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि या नुकसान पहुंचाना या हानि पहुंचाने की धमकी देना है।

क.5 "विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता / बोलीदाता" को इसके बाद से यहाँ "एजेंसी" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

क.6 "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ निदेशकों की समिति होगा, जिसमें निदेशक (परियोजना) के अंतर्गत कार्य केंद्रों के लिए निदेशक (वित्त) और निदेशक (बीडी) शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों के लिए निदेशक समिति में निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) शामिल होंगे।

क.7 "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ उस प्राधिकारी से होगा, जो किसी एजेंसी / एजेंसियों से होने वाले व्यवसाय के निलंबन और एजेंसी/ एजेंसियों के साथ व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाने का अंतिम निर्णय लेने में सक्षम है और वह संबंधित "निदेशक" होगा।

क.8 "संबद्ध एजेंसी" का अर्थ है प्रतिबंधित / निलंबित एजेंसियों के प्रभावी दायरे में आने वाली सभी समस्याएं। इसे ठीक करने में, निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है:

(क) क्या प्रबंधन सामान्य है;
(ख) प्रबंधन में अधिकांश हित प्रतिबंधित / निलंबित फर्म के भागीदारों या निदेशकों द्वारा धारित हैं।
(ग) पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर प्रतिबंधित / निलंबित एजेंसी के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर वे इसे नियंत्रित कर सकते हैं।

क.9 "जांच एजेंसी" का अर्थ होगा गेल का कोई विभाग या यूनिट, जो एजेंसी / पार्टी के आचरण की जांच कर रही है और इसमें गेल का सतर्कता विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य एजेंसी का सतर्कता विभाग शामिल होगा।

ख. भ्रष्ट / धोखाधड़ी / मिलीभगत / बलपूर्वक आचरण में संलिप्त बोलीदाता(ओं) के खिलाफ कार्रवाई

ख.1 बोलियों के मूल्यांकन के दौरान पाई गई अनियमितताएं:

यदि बोली प्रक्रिया / बोली मूल्यांकन चरण के दौरान यह पाया जाता है कि कोई बोलीदाता भ्रष्ट / धोखाधड़ी / मिलीभगत / बलपूर्वक आचरण में संलिप्त है, तो ऐसे बोलीदाता(ओं) की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी बयाना जमा राशि (ईएमडी) को जब्त कर लिया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसी एजेंसी को प्रतिबंध आदेश जारी करने की तारीख से नीचे पैरा बी 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

ख.2 संविदा प्रदान करने के बाद पाई गई अनियमितताएं

(i) संविदा के निष्पादन के दौरान:

यदि कोई एजेंसी, संविदा के निष्पादन के दौरान भ्रष्ट / धोखाधड़ी / मिलीभगत / बलपूर्वक आचरण में संलिप्त पाई जाती है, तो एजेंसी को प्रतिबंध आदेश के जारी होने

की तारीख से पैरा बी 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में व्यापार के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

ऐसे संबंधित आर्डर(रों) / संविदा (संविदाओं), जहां भ्रष्ट / धोखाधड़ी / मिलीभगत आचरण पाया जाता है, को अभियंता प्रभारी (ईआईसी) / नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे आपूर्ति / कार्य / सेवा और भुगतान आदि निलंबित हो जाएगा। एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्रक्रिया के समापन के बाद, ऐसे आर्डर(रों) / संविदा (संविदाओं), जहां यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसी अनियमितताएं की गई हैं, को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे आर्डर(रों) / संविदा (संविदाओं) के लिए एजेंसी द्वारा प्रस्तुत संविदा-सह-निष्पादन बैंक गारंटी (सीपीबीजी) को भी जब्त कर लिया जाएगा। ठेकेदार द्वारा पहले निष्पादित किए गए कार्य के कारण देय राशि का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और संविदा की शर्तों के अंतर्गत इस राशि का ठेकेदार की ओर से देय किसी भी राशि के खिलाफ समायोजन किया जा सकेगा।

ऐसे मामलों में कोई जोखिम और लागत प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे।

(ii) संविदा के निष्पादन के बाद और दोषपूर्ण देयता अवधि (डीएलपी) / वारंटी / गारंटी की अवधि के दौरान:

यदि कोई एजेंसी संविदा के निष्पादन के बाद और डीएलपी / वारंटी / गारंटी अवधि के दौरान भ्रष्ट / धोखाधड़ी / मिलीभगत / बलपूर्वक आचरण में संलिप्त पाई जाती है, तो एजेंसी को नीचे दिए गए पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंध आदेश जारी करने की तारीख से गेल के साथ भविष्य में व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

इसके अलावा, एजेंसी द्वारा ऐसे आर्डर(रों) / संविदा (संविदाओं) के लिए प्रस्तुत संविदा-सह-निष्पादन बैंक गारंटी (सीपीबीजी) को जब्त कर लिया जाएगा।

(iii) दोषपूर्ण देयता अवधि (डीएलपी) / वारंटी / गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद

यदि किसी एजेंसी को दोषपूर्ण देयता अवधि (डीएलपी) / वारंटी / गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद भ्रष्ट / धोखाधड़ी / मिलीभगत / बलपूर्वक आचरण में संलिप्त पाया जाता है, तो एजेंसी को नीचे दिए गए पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंध आदेश जारी करने की तारीख से गेल के साथ भविष्य में व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

ख.2.2 प्रतिबंध लगाने की अवधि

भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / बलपूर्वक आचरण में संलिप्त पाए जाने पर एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने की अवधि निम्नानुसार होगी और जिसकी गणना प्रतिबंध लगाने के आदेश की तारीख से की जाएगी:

क्र.सं.	**विवरण**	**प्रतिबंध आदेश जारी करने की तारीख से प्रतिबंध लगाने की अवधि**
1	निविदा की बीईसी के अलावा अन्य गलत जानकारी / झूठी सूचना देना जिसका चयन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई एजेंसी पीएसयू / सरकारी विभाग की अवकाश / प्रतिबंध सूची, परिसमापन, दिवालियापन आदि में नहीं होने की पुष्टि करती है, और बाद में इससे उलट पाया जाता है, तो ऐसे कृत्यों पर इस श्रेणी में विचार किया जाएगा।	02 वर्ष
2	भ्रष्ट/ धोखाधड़ी (निविदा की बीईसी से संबंधित)/ कपटपूर्ण / बलपूर्वक आचरण	03 वर्ष
2.1	यदि कोई एजेंसी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, फिर से भ्रष्टाचार/ धोखाधड़ी (निविदा की बीईसी से संबंधित) / कपटपूर्ण / बलपूर्वक आचरण करती है, तो बार-बार अपराध करने की ऐसी स्थिति को अधिक कठोरता से निपटा जाएगा और प्रतिबंध लगाने की अवधि निम्नानुसार होगी:	
	(i) एक बार दोहराने पर	7 वर्ष (पिछली प्रतिबंध अवधि के अतिरिक्त)
	(ii) दो या अधिक बार दोहराने पर	15 वर्ष (पिछली प्रतिबंध अवधि के अतिरिक्त)

3	गेल द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के अनधिकृत निपटान में संलिप्त पाए जाने पर	7 वर्ष
4	यदि विक्रेता / ठेकेदार का कृत्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो	15 वर्ष

ग. अन्य चल रही संविदाओं / निविदाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रभाव

ग.1 यदि किसी एजेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसी एजेंसी की चालू निविदाओं / भावी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2 तथापि, यदि ऐसी एजेंसी पहले से ही अन्य आर्डर (आर्डरों) / संविदा (संविदाओं) को निष्पादित कर रही है, जहां कोई भ्रष्ट / धोखाधड़ी / मिलीभगत / बलपूर्वक आचरण नहीं पाया गया है, तो संविदा में उल्लिखित मूल कार्यक्षेत्र की प्रासंगिकता को छोड़कर एजेंसी को तब तक जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि इसके कार्यक्षेत्र में आगे कोई वृद्धि न हो।

ग.3 यदि किसी एजेंसी को निविदा के दौरान प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाता है और प्रक्रिया के तहत मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है:

ग.3.1 जांच / बोली / निविदा जारी करने के बाद लेकिन तकनीकी बोली खोलने से पहले, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निविदा को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

ग.3.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, एजेंसी की मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी / ईएमडी को एजेंसी को लौटा दिया जाएगा।

ग.3.3 मूल्य बोली के खुलने के बाद, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी / ईएमडी लौटा दी जाएगी; और एजेंसी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी को उसी निविदा / अन्य निविदा में धोखाधड़ी / तथ्यों के दुर्विनियोजन के कारण प्रतिबंध सूची में डाला जाता है, और जहां दोषी एजेंसी न्यूनतम दर (एल1) के रूप में उभरती है, तो ऐसी निविदा को रद्द कर दिया जाएगा और निविदा फिर से आमंत्रित की जाएगी।

घ. बोलीदाता के निलंबन की प्रक्रिया

घ.1 निलंबन की शुरूआत

किसी भी एजेंसी / (एजेंसियों) के साथ व्यवसाय निलंबन की कार्रवाई तब शुरू की जाएगी जब

(i) गेल का कारपोरेट सतर्कता विभाग, उनके द्वारा मामले की जांच के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर एजेंसी के खिलाफ तत्काल विशिष्ट कार्रवाई की सिफारिश करता है।

(ii) गेल का कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग, जांच एजेंसी के इनपुट के आधार पर, एजेंसी के खिलाफ तत्काल विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए उसे अग्रेषित करता है।

(iii) विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार/ परामर्शदाता द्वारा निष्पादन न किया जाए जिसके कारण संविदा / आर्डर रद्द की जा सकती है।

घ.2 निलंबन प्रक्रिया:

घ.2.1 निलंबन का आदेश शुरू में छह माह से अधिक नहीं होगा और इसकी सूचना कंपनी और कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग को भी दी जाएगी। निलंबन की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक माह तक के लिए उस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है, जब छह माह की सीमा में एजेंसी को प्रतिबंध सूची में डालने को कोई निर्णायक निर्णय लंबित हो।

घ.2.2 निलंबन की अवधि के दौरान, एजेंसी के साथ कोई नया व्यवसाय सौदा नहीं किया जाएगा।

घ.2.3 एजेंसी के साथ व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित अंतिम आदेश में निलंबन की अवधि दर्शाई जाएगी।

घ.2.4 व्यावसायिक लेन-देन के निलंबन से संबंधित निर्णय को सभी एजेंसियों को भी सूचित किया जाएगा।

घ.3 व्यवसाय के निलंबन का प्रभाव:

अन्य चालू / भावी निविदाओं पर निलंबन का प्रभाव निम्नानुसार होगा:

घ.3.1 जब तक एजेंसी का नाम निलंबन सूची में प्रदर्शित किया जाता है, तब तक किसी एजेंसी से कोई पूछताछ / बोली / निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ.3.2 यदि किसी एजेंसी को निविदा के दौरान निलंबन सूची में रखा गया है:

घ.3.2.1 जांच / बोली / निविदा जारी करने के बाद लेकिन तकनीकी बोली खोलने से पहले एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ.3.2.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, एजेंसी की मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी / ईएमडी को एजेंसी को लौटा दिया जाएगा।

घ.3.2.3 मूल्य बोली के खुलने के बाद, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी / ईएमडी लौटा दी जाएगी; और एजेंसी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी को उसी निविदा / अन्य निविदा में धोखाधड़ी / तथ्यों के दुर्विनियोजन के कारण प्रतिबंध सूची में डाला जाता है, और जहां दोषी एजेंसी न्यूनतम दर (एल1) के रूप में उभरती है, तो ऐसी निविदा को रद्द कर दिया जाएगा और निविदा फिर से आमंत्रित की जाएगी।

घ.3.3 निष्पादन के तहत मौजूदा संविदा (संविदाएं) / आर्डर जारी रहेंगे।

घ.3.4 माल, कार्यों, सेवाओं और परामर्शी सेवाओं की खरीद के लिए आमंत्रित निविदाओं में यह प्रावधान होगा कि बोलीदाता इस आशय का वचनपत्र देगा कि (i) न तो स्वयं बोलीदाता और न ही उनकी संबद्ध एजेंसी / (एजेंसियां) गेल या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की की प्रतिबंध सूची में हैं, और (ii) बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

च. सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील:

च.1 एजेंसी उसे प्रतिबंध सूची में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को दायर की जाएगी। प्रतिबंध आदेश की प्राप्ति से एक महीने के भीतर ऐसी अपील पर विचार किया जाएगा।

च.2 अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा जिसकी सूचना पक्षकारों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को भी दी जाएगी।

च.3 अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने के 45 दिनों के भीतर अपील पर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

छ. जहां-कहीं 'सत्यनिष्ठा समझौते', जीसीसी और 'भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / बलपूर्वक आचरण' के मामले में विरोधाभास हो, वहां 'भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / बलपूर्वक आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया' के प्रावधान लागू होंगे।